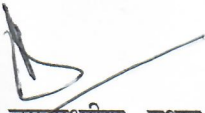


In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.S.-24/2021

15.09.2021	आज Physical Court है। वादी की ओर से वकालतनामा सह आवेदन पत्र U/o 1 Rule 10 (2) सह U/o 6 Rules 17 R/w Section 151 C.P.C. दाखिल किया गया है। कॉपी प्रतिवादी को दी गयी है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी उपरोक्त आवेदन पत्रों को संचालित कर निवेदन करते हैं कि भूलवश वाद पत्र में वादी (5) का नाम छूट गया है इसे जोड़ने तथा वाद पत्र में संशोधन की अनुमति दी जाए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों की ओर से संयुक्त संधि-पत्र दिनांक 28.08.2021 दाखिल किया गया है। प्रतिवादियों की आरे से आवेदन पर "No Objection" अंकित किया गया है तथा दाखिल आवेदन पत्र शपथ युक्त है एवं वादी (5) इस वाद में Necessary Party प्रतीत होता है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अतः वादी की ओर से दाखिल U/o 1 Rule 10 (2) R/w Section 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक आवेदन पत्र के आलोक में राजीव कुमार का नाम वाद पत्र के वादी के कॉलम में जोड़े। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी की ओर से शपथ युक्त संशोधन आवेदन पत्र U/o 6 Rules 17 R/w Section 151 C.P.C. दाखिल किया गया है जो साधारण प्रकृति का है। वाद पत्र में संशोधन करने से वाद के मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वादी की ओर से दाखिल उक्त संशोधन आवेदन पत्र पर प्रतिवादी द्वारा No Objection अंकित किया गया है। अतः वादी की आरे से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र U/o 6 Rules 17 R/w Section 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी संशोधन आवेदन पत्र के आलोक के अनुसार वाद में संशोधन करे। वाद दिनांक 22/12/21 वास्ते संशोधन आवेदन पत्र के आलोक में तथा संयुक्त संधि पत्र के आलोक में सिरिस्तेदार प्रतिवेदन हेतु।  अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी।
------------	---